मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 155] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2010—फाल्गुन 28, शक 1931

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2010

क्र. 6195-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबन्धों के पालन में मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 6 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 18 मार्च, 2010 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०१०

मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) विधेयक, २०१०.

मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, २००२ को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, २००२ (क्रमांक १५ सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

(ङ) "जन शिक्षा प्रभारी" से अभिप्रेत है जन शिक्षा केन्द्र के रूप में पदाभिहित किए जाने वाले हायर सेकेण्डरी स्कूल या हाई स्कूल का प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य";

धारा १४ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा १४ में,—

"(एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१) राज्य सरकार प्रारंभिक और प्रौढ़ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिये प्रत्येक जिले में कुछ अथवा समस्त हायर सेकेण्डरी स्कूलों या हाई स्कूलों को जन शिक्षा केन्द्र के रूप में पदाभिहित करेगी.".

(दो) उपधारा (२) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ख) प्रत्येक जन शिक्षा केन्द्र में, केन्द्र तथा इसके स्कूलों के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करने के लिए दो जन शिक्षक होंगे, और जन शिक्षक जिले में के शिक्षकों में से चुने जाएंगे.".

निरसन तथा व्यावृत्ति. ४. (१) मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, २०१० (क्रमांक १ सन् २०१०) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

स्कूल शिक्षा के अधिकारियों तथा शिक्षाविदों द्वारा किए गए मूल्यांकनों तथा क्षेत्र की मानीटरिंग से यह बात स्पष्ट हुई है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किए गए प्रयासों में जन शिक्षक (समूह स्तर) सबसे कमजोर कड़ी रही है. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने तथा स्कूलों के समूह हेतु शिक्षकों को शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने का मुख्य लक्ष्य हासिल करने हेतु जन शिक्षकों की व्यवस्था आरम्भ की गई थी, तथापि, जन शिक्षक इस लक्ष्य को पूरा करने में पर्याप्त रूप से समर्थ नहीं हो पाए हैं, क्योंकि संरचना में, जन शिक्षक सबसे कनिष्ठ व्यक्ति होने के कारण उनके लिए उनसे वरिष्ठ शिक्षकों का पर्यवेक्षण करना और उन्हें शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराना एक कठिन तथा चुनौतीपूर्ण कार्य है.

२. वर्तमान में सहायक शिक्षक और सहायक अध्यापक भी जन शिक्षकों के रूप में पदस्थ किये जा सकते हैं. अपर्याप्त शैक्षणिक योग्यता और अध्यापन अनुभव के कारण ये लोग प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहायता मुहैया कराने में असमर्थ हैं. माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक अपने-अपने समूहों में जन शिक्षा केन्द्र के भारसाधक हैं. तथापि, प्रशासनिक अनुभव और वरिष्ठता की कमी के कारण वे प्रभावी नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने में असमर्थ हैं.

३. जिला स्तर पर, जिला शिक्षा केन्द्र और जिला शिक्षा कार्यालय के अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण, एक दूसरे के समानान्तर कार्य कर रहे हैं. इसी तरह खण्ड (ब्लाक) स्तर पर, खण्ड शिक्षा कार्यालय के अधिकारी एवं समन्वयक, खण्ड संसाधन केन्द्र, एक दूसरे के समानान्तर कार्य कर रहे हैं. ये संरचनात्मक व्यवस्थाएं, शासकीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही हैं. भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों, राज्य शासन की ''मंथन'' कार्यशालाओं से उभरकर आ रहीं सिफारिशों और क्षेत्र से मिल रही जानकारियों एवं चुनौतियों के आधार पर इन समानान्तर संरचनाओं को एकीकृत करने की आवश्यकता आ पड़ी है.

४. अतएव, यह प्रस्तावित है कि मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, २००२ (क्रमांक १५ सन् २००२) में यथोचित संशोधन करके स्थिति में सुधार लाया जाए तथा स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार लाने के राज्य के प्रयासों में बढ़ोतरी की जाए.

५. संशोधनों के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:—

(१) बेहतर पर्यवेक्षण तथा शैक्षणिक सहायता के माध्यम से स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन करना.

(२) स्कूल शिक्षा विभाग में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना.

६. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और राज्य विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अत: इस प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, २०१० (क्रमांक १ सन् २०१०) प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान मण्डल का अधिनियम, बिना किसी संशोधन के साथ लाया जाए.

७. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ९ मार्च, २०१०.

श्रीमती अर्चना चिटनीस
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

स्कूल शिक्षा के अधिकारियों तथा शिक्षाविदों द्वारा किये गये मूल्यांकनों तथा क्षेत्र की मॉनीटरिंग से यह बात स्पष्ट हुई है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिये किये गये प्रयासों में जन शिक्षक (समूह स्तर) की सबसे कमजोर कड़ी रही है. अपर्याप्त शैक्षणिक योग्यता और अध्यापन अनुभव के कारण ये लोग प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को गुणवत्तापूर्वक शैक्षणिक सहायता मुहैया कराने में असमर्थ हैं. इन्हीं कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए, मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, २००२ में तत्काल संशोधन की आवश्यकता थी.

चूंकि मामला अत्यावश्यक था और राज्य विधान सभा का सत्र चालू नहीं था. अत: इस प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश जनशिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, २०१० (क्रमांक १ सन् २०१०) प्रख्याति किया गया था.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 160] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2010—फाल्गुन 28, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2010

क्र. 1914-107-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 6 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 6 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH JAN SHIKSHA (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2010

A Bill to amend the Madhya Pradesh Jan Shiksha Adhiniyam, 2002.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixtyfirst Year of the Republic of India as follows:—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Jan Shiksha (sanshodhan) Adhiniyam, 2010.

Amendment of Section 2. 2. In section 2 of the Madhya Pradesh Jan Shiksha Adhiniyam, 2002 (No. 15 of 2002) (hereinafter referred to as the principal Act), for clause(e), the following clause shall be substituted, namely:—

"(e) "Jan Shiksha Prabhari" means Principal or In-Charge Principal of Higher Secondary School or High School to be designated as Jan Shiksha Kendra.''.

Amendment of Section 14. 3. In Section 14 of the Principal Act,—

(i) for sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) The State Government shall designate a few or all of the Higher Secondary Schools or High Schools as Jan Shiksha Kendra in every district for improving the quality of elementary and adult education.'';

(ii) In sub-section (2), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) Each Jan Shiksha Kendra shall have two jan Shikshaks to act as coordinator between the Kendra and its schools, and the Jan Shikshaks shall be selected from amongst the teachers in the district.''.

Repeal and saving. 4. (1) The Madhya Pradesh Jan Shiksha (Sanshodhan) Adhyadesh, 2010 (No. 1 of 2010) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Assessments and field monitoring undertaken by school education functionaries and educationists has clearly highlighted that the Jan Shikshak (cluster level) is the weakest link in the efforts towards quality education. It is important to note that Jan Shikshak was introduced with the main object of improving quality of education and to provide academic support to teachers for a cluster of schools, however, Jan Shikshaks have not been able to fulfil the object adequately, because the Jan Shikshaks being junior most persons in the structure, find it difficult and challenging to supervise and provide academic support to teachers who are senior to them.

2. Currently the Assistant Teachers and sahayak Adhayapak can also be posted as Janshikshaks. These persons are unable to provide quality academic support to the primary and upper primary school teachers because of inadequate academic qualification and teaching experience. The Head Master of the Middle school is in charge of the Jan Shiksha Kendra in the respective clusters. However, he is unable to provide effective control and supervision due to lack of administrative experience and seniority.

3. At the district level, the officers of Zila Shiksha Kendra and District Education Office/Assistant Commissioner, Tribal welfare function parallel to each other, Similarly at the block level, the offices of Block Education Office and block Resource centre Coordinator function parallel to each other. Thease structural arrangements are adversely affecting the quality of education in Government schools. Based on the directions issued by the Government of India, recommendations emerging from the "Manthan" workshops of the State Government and information and challenges emerging from the field, the need to integrate these parallel structures has emerged.

4. Therefore, it is proposed to rectify the situation by bringing in suitable amendment in the Madhya Pradesh Jan Shiksha Adhiniyam, 2002 (No. 15 of 2002) and booster the efforts of the State to improve the quality of education and Governance in schools.

5. The main objectives for the amendments are as follows:—

(1) To institute the necessary structural changes to improve quality of education in schools through better supervision and academic support.

(2) To maximise the resource utilisation available within the School Education Department.

6. As the matter was urgent and the State Legislative Assembly was not in session, the Madhya Pradesh Jan Shiksha (Sanshodhan) Adhyadesh, 2010 (No. 1 of 2010) was promulgated for the purpose. It is now proposed to replace the said ordinance by an Act of the State Legislature without any amendment.

7. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated the 9th March 2010

ARCHANA CHITNIS
Member-in-Charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.